जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.04.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता रामाज्ञा पुत्र धर्मराज निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 अनिल प्रसाद, का0 रवि चौरसिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत सेहुआनाथ मोड़ से कालर द्वारा स्कूटी व बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1.बृजेश राय पुत्र रामसबद राय 2. कृष्णा राय पुत्र बृजेश राय 3. रीना राय पत्नी बृजेश राय ग्राम बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल लोगों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहंदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अभिषेक मौर्या, आ0 विवेक कुमार, हो0चा0 रोहिताष पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 127 वाहनों से 1,99,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 04.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 127 वाहनों से 1,99,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　दिनाँक 04.04.2025

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 26 स्थानों पर लगवाये गये 157 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में आज दिनांक 04.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से *26 स्थानों पर कुल 157 सीसीटीवी कैमरें* लगवाये गये । थाना दुधारा पुलिस द्वारा 07 स्थान पर 19 कैमरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 04 स्थान पर 32 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 16 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरा, थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 06 स्थान पर 33 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 05 स्थान पर 38 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, ***आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।***

जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　दिनाँक 04.04.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 04 अभियुक्तगण को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 8200 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 04.04.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 04 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 8200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरणः-

मु0अ0सं0 133/2001 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जुम्मन पुत्र इद्दन 2. सोहराब पुत्र सज्जाक 3. सज्जाद पुत्र इशहाक 4. मुख्तार अहमद पुत्र इशहाक साकिनान छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में अपराध स्वीकोरोक्ति के आधार पर धारा 3/8 सीएस एक्ट के अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधि व एक-एक हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 5/8 सीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व एक-एक हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में पचास - पचास रुपये के अर्थदण्ड(प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दो हजार पचास रुपये) (कुल आठ हजार दो सौ रुपये) से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दो - दो दिवस का कारावास भुगतना होगा ।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.04.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार व छिनैती के मामले का सफल अनावरण करते हुए 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व छिनैती की गयी 01 अदद लाकेट पीली धातु, 01 अदद आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर व 02 अदद मोबाइल बरामद

दिनांक 30.03.2025 को वादिनी श्रीमती सितारा देवी पत्नी धर्मेन्द्र चौहान निवासी गोविन्दपुर (बढ़ना) जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 30.03.2025 को शाम के समय खुशी ढाबा के पास दो व्यक्तियों द्वारा मोटर साईकिल से आकर छपट्टा मारकर वादिनी के गले का मंगलसूत्र छीन कर भाग गये । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 260/2025 धारा 304(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 04.04.2025 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को मंझरिया से भरपुरवा गांव के तरफ कबिसा के आने वाले मार्ग के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 260/2025 धारा 304(1) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0सं0 270/2025 धारा109,3/5 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. लालचन्द यादव उर्फ गुड्डू पुत्र रामसवारे यादव निवासी केशवापुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
2. राजपाल प्रजापति पुत्र रामजी प्रजापति निवासी जगतबेला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
4. छिनैती की गयी 01 अदद लाकेट पीली धातु
5. 01 अदद आधार कार्ड
6. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर
7. 02 अदद मोबाइल बरामद
8. 1060 रुपये (जामातलाशी)
9. 01 प्लास्टिक के पाउच में लाल रंग का पाउडर (मिर्ची)

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताये कि मिर्ची का पाउडर जो हम लोगो से पास से मिला है उसे हम लोग लुटने वाले व्यक्तियो के आँख में झोककर छिनैती की घटना कारित करते है, इसी पल्सर मोटरसाइकिल से हमने मिलकर दिनांक 30.03.2025 को खुशी ढाबा के पास ई-रिक्शा से जा रही एक महिला से हम दोनो ने छीन लिया था, लाकेट सोने का है तथा मोबाइल व पैसा हमारा निजी है। जब आप लोग रूकने का इशारा किये तो हम लोग समझ गये कि पुलिस वाले है और हम लोग पकडे जा सकते है इस लिये हमने गिरफ्तारी से बचने के लिये आप लोगो पर फायर कर दिया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 छोटेलाल सिंह, का0 कृष्णानन्द शाह, का0 रघुवंश प्रसाद, का0 मनीष यादव, का0 कृष्णनरायण।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त लालचन्द यादव उर्फ गुड्डू पुत्र रामसवारे यादव निवासी केशवापुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर।

1. मु0अ0सं0 153/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

2. मु0अ0सं0 260/2025 धारा 304(1)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

3. मु0अ0सं0 270/2025 धारा109,3/5 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

अभियुक्त राजपाल प्रजापति पुत्र रामजी प्रजापति निवासी जगतबेला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

1. मु0अ0सं0 371/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

2. मु0अ0सं0 758/2020 धारा 147, 148, 323, 504 भादवि व 3(1)घ, 3(1)द एससी एसटी एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

3. मु0अ0सं0 260/2025 धारा 304(1)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

4. मु0अ0सं0 270/2025 धारा109,3/5 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।